कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/आविशा/संग/2025/ 481 दिनांक : 07.03.2025

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023)

चुंकि मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी होली एवं शीतला अष्टमी धार्मिक त्यौहारों के मध्य नजर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जनसाधारण की सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

यतः मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि आगामी होली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा चलते हुए वाहनों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंकने से सार्वजनिक जनहानि तथा शान्ति भंग होने का अन्देशा हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या जोधपुर आयुक्तायल क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं, अमित जैन, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए यह आदेश पारित करता हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में :-

1. कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे।
2. कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि धारण कर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार, नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर, जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, उन पर लागू नहीं होगा।
3. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, घातक तरल पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे।
4. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील उत्तेजक हरकते एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC सत्यमेव जयते JODHPUR

07/03/2025

0291-2650900☎, 2650903🖶, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

6. कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरों इत्यादि पर रंग, कीचड़, धूल व पानी/रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारें नहीं फेकेगा।

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देना या आदेश तामील कराना सम्भव नहीं है। अत: उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश की जानकारी को आम जनता में समाचार पत्रों, रेडियो, टी.वी. के द्वारा देने की व्यवस्था जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर करेंगे एवं इस आदेश की प्रतियां प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने की व्यवस्था करायेंगे।

यह आदेश दिनांक 10.03.2025 से लागू होकर दिनांक 01.04.2025 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC JODHPUR

07/3/25

(अमित जैन)
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy. Commissioner of Police
H. Q. and Traffic
Jodhpur

प्रतिलिपि : निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स/प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था/ तकनीकी सेवाएं (टेलीकम्यूनिकेशन एवं तकनीकी), राजस्थान जयपुर (प्रभारी जोधपुर आयुक्तालय) राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
2. संम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर/उप महानिरीक्षक पुलिस, आसूचना, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. पुलिस उपायुक्तगण, जिला पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर।
6. पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण/जीआरपी, जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
9. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों/मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
11. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर।
12. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधुपर।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy. Commissioner of Police
H. Q. and Traffic
Jodhpur